



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून

फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की अनिवार्यता हेतु यूपीसीएल द्वारा वहन की जाने वाली स्थिर लागत की वसूली के लिए यूपीसीएल द्वारा उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्तमुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 [UERC (Terms and Conditions of Intra-State Open Access) Regulations, 2015] में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त अधिभार [Additional Surcharge] निर्धारण के लिए दायर याचिका पर जन-सुनवाई।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 यूपीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्तमुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 [UERC (Terms and Conditions of Intra-State Open Access) Regulations, 2015] में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त अधिभार [Additional Surcharge] के निर्धारण हेतु याचिका दायर की है। इस सम्बन्ध में यूपीसीएल द्वारा समाचार पत्रों में दिनांक 28.04.2019 सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गयी है जिस पर सुझाव/आपत्तियाँ प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 20.05.2019 है।

उपरोक्त याचिका एवं प्रकाशित सार्वजनिक सूचना याचिकाकर्ता की वेबसाईट (www.upcl.org) एवं आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा आयोग कार्यालय के उपरोक्त पते पर दिनांक 11.06.2019 को प्रातः 11.00 बजे जन-सुनवाई आहूत की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति, इस सम्बन्ध में अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे उक्त निर्धारित जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

सचिव